

**कार्यालय केन्द्रीय नजारत न्यायालय, शामली।**  
**नीलामी सूचना।**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन दिनांक 29.06.2026 को अपराह्न 4:30 बजे सभागार कक्ष न्यायालय परिसर शामली स्थित कैराना में होगी, किराये पर नीलाम होने वाली जलपान गृह की न्यूनतम बोली एवं धरोहर बोली सूची निम्नवत् है-

**वित्तीय वर्ष 2026-2027 में नीलामी होने वाली प्रस्तावित दुकानों एक वर्ष के लिए धरोहर राशि एवं न्यूनतम बोली राशि का विवरण**

| क्र.सं. | स्थल का नाम                      | प्रयोजन                                 | धरोहर राशि | प्रस्तावित न्यूनतम बोली |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|
| 01      | जनपद न्यायालय शामली स्थित कैराना | जलपान गृह (कैन्टीन एवं खानपान की दुकान) | 35000 /-   | 350000 /-               |

उपरोक्त में अंकित धरोहर नगद धनराशि इस जनपद न्यायालय के केन्द्रीय नजारत में नीलामी की नियत तिथि दिनांक 29.06.2026 से पूर्व 28.06.2026 तक अपराह्न 02 से 04 बजे तक जमा कर उससे सम्बन्धित प्राप्ति रसीद प्राप्त की जा सकेगी। प्रतिभूति की धनराशि जमा न करने की स्थिति में नीलामी की बोली लगाने हेतु अहर्त्य नहीं होगा।

उपरोक्त जलपान गृह की नीलामी से सम्बन्धित अन्तिम बोली जिस प्रतिभागी के पक्ष में छूटेगी उस पर नियमानुसार कर की धनराशि अलग से जमा करना अनिवार्य होगा तथा अन्तिम बोली की धनराशि का 50 प्रतिशत की धनराशि नीलामी स्थल पर जमा करना होगा तथा अन्तिम बोली का अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि दिनांक 31.12.2026 तक जमा करना होगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली धनराशि नगद जमा की जायेगी, उससे सम्बन्धित किसी प्रकार की चेक/ड्राफ्ट एवं बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त नीलामी की तिथि से किसी प्रकार का परिवर्तन/वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार तथा किसी प्रकार के विवाद के लिए अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, शामली के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।

(नवीन कुमार सिंह)  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कैराना/ अध्यक्ष नीलामी समिति,  
जनपद न्यायालय शामली।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को उनके कार्यालय स्थित सूचना को दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु एवं कार्यालय के सूचना पट पर सूचनार्थ चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग ई-कोर्ट शामली एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
- ✓ 2. जिला सूचना अधिकारी, शामली को प्रकाशन हेतु।
3. अधीक्षक, चिकित्सालय कैराना, शामली।
4. कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।
5. तहसीलदार कैराना।
6. तहसीलदार, शामली।
7. केन्द्रीय नाजिर को नोटिस बोर्ड जनपद न्यायालय, शामली पर चस्पा करने हेतु।

(नवीन कुमार सिंह)  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कैराना/ अध्यक्ष नीलामी समिति,  
जनपद न्यायालय शामली।